

∴ आम सूचना ∴

समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि चित्तौड़गढ़ जिले में कोविड-19 के संक्रमण के पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 03/पीआई/2021 दि.10.04.2021 के अनुसरण में इस न्यायक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों/अधिकरणों में physical presence and video conferencing से प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी और उसमें जहां तक संभव हो सके video conferencing के जरिये सुनवाई को वरीयता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं और video conferencing सुनवाई 'Microsoft Teams', 'Jisti' or 'Google Meet' application के जरिये की जावेगी।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अधिकरणों/ सभी न्यायालयों में जमानत प्रार्थनापत्र, स्थगन प्रार्थनापत्र, सजा स्थगन प्रार्थनापत्र, सुपुर्दगी प्रार्थनापत्र, रिवीजन (सुपुर्दगी), एमवी एक्ट के मामलों में, व अन्य प्रार्थनापत्र वगैरह जहां तक संभव हो सके, संबंधित न्यायालय की ई-मेल आईडी पर पेश किये जावें, ताकि इन अति-आवश्यक मामलों में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही/सुनवाई हो सके और न्यायालयों में अनावश्यक भीड़ न रहे तथा जिन प्रकरणों में वीडियो कॉन्फेसिंग से सुनवाई होगी है उन प्रकरणों में संबंधित न्यायालय के रीडर को फोन कर पूर्व में सूचना दी जा सकती है व यदि प्रकरणों की सुनवाई में किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो भी संबंधित न्यायालय के रीडर से संपर्क करें।

सभी से यह भी अपील की जाती है कि न्यायालयों में जिन प्रकरणों में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है और जिन मामलों में माननीय सर्वाच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या अपीलीय न्यायालय से समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण के निर्देश हैं व जो प्रकरण दस वर्ष से अधिक पुराने हैं, केवल उन प्रकरणों में ही गवाहान के बयान लेखवद्ध किये जावेंगे और अन्य मामलों में जब तक दोनों पक्षकारान सहमत न हों, तब तक बयान नहीं लिये जावेंगे। ऐसी सूरत में जब तक आवश्यक न हो गवाहान को न्यायालय में न बुलवायें। यह भी सभी से अनुरोध है कि पक्षकारान/अभियुक्तगण/मुस्तगीस पक्ष को आवश्यकता होने पर ही न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बुलवायें। उनके अनुपस्थित होने पर माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र के मुताबिक कोई

विपरीत आदेश पारित नहीं किया जावे।

सभी लोग इसमें पूर्ण सहयोग करें और न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न करें इस बात का ख्याल रखा जाये ताकि कोविड-19 के तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके।

सभी लोगों से यह अपील की जाती है कि आवश्यक रूप से मास्क इस प्रकार से पहनें कि जिससे नाक व मुंह अच्छी तरह से ढके रहें। यह भी देखने में आ रहा है कि पक्षकारान जो मास्क पहनते हैं वे मास्क को नाक व मुंह तक नहीं ढकते हैं जो उचित नहीं है। न्यायालय परिसर में सभी से सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की जाती है।

यह भी सभी से अपील की जाती है कि थर्मल स्क्रीनिंग करवाकर ही न्यायालय में प्रवेश करें और किसी प्रकार की अस्वस्थता हो तो न्यायालय परिसर में न आवें।


---sd---
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़

दि. 14.04.2021

क्रमांक : 1692

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :

- 1 विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, (सं.-1/सं.-2), चित्तौड़गढ़
- 2 न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चित्तौड़गढ़
- 3 न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, चित्तौड़गढ़
- 4 विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, चित्तौड़गढ़
- 5 विशिष्ट न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. प्रकरण) चित्तौड़गढ़
- 6 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (सं.-1/सं.-2/सं.-3) चित्तौड़गढ़ / (सं.-1/सं.-2) निम्बाहेडा
- 7 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़
- 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
- 9 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ संख्या-01, निम्बाहेडा/बेगूं/बडीसादडी/कपासन/रावतभाटा/डूंगला
- 10 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सं.-1/सं.-2, चित्तौड़गढ़)/(सं.-2, निम्बाहेडा)
- 11 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट/चित्तौड़गढ़/निम्बाहेडा/ बडीसादडी/मंडफिया/कपासन/बेगूं/राशमी/गंगरार
- 12 अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
- 13 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) चित्तौड़गढ़
- 14 न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चित्तौड़गढ़/भदेसर
- 15 प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़
- 16 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ/चित्तौड़गढ़/निम्बाहेडा/बेगूं/बडीसादडी कपासन/रावतभाटा/डूंगला/मण्डफिया/भदेसर/राशमी/गंगरार
- 17 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय चित्तौड़गढ़


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़